



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-15102026-277157
CG-RJ-E-15102026-277157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5374]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5374]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5588(अ). — केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं 2008 (2008 का 11) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा-20 क की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिये यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है राजस्थान राज्य के चूरू जिला में “चूरू - सादुलपुर दोहरीकरण (57.82 किमी) की विशेष रेल परियोजना” के निष्पादन / अनुरक्षण प्रबंधन और परिचालन के लिये अपेक्षित है ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा - 20 घ की उपधारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट - राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षा कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा-20 घ की उपधारा (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

राजस्थान राज्य चूरू- सादुलपुर दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु (राजगढ़ उपखण्ड के लिये) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड / तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे /खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अवाप्ति की जाने वाली भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)
1	राजगढ़	कस्बा राजगढ़	1645	निजी	बारानी तृतीय	2.6600	0.125
2		रतनपुरा	856/ 504	निजी	बारानी चतुर्थ	2.1500	0.10
			862/ 505	सरकारी	गै. मु. सड़क	0.0500	0.025
कुल क्षेत्रफल							0.25

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.व.नि./443599200-भाग-26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 12th October, 2026

S.O. 5588(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, "Churu-Sadulpur (57.82 km) Doubling Project" in District Churu the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Rajgarh, Rajasthan, in writing and shall the ground thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority,

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be Acquired (with or without structures) for the Special Railway Project, namely, Churu–Sadulpur Doubling Project (for Rajgarh Sub-Division) in the State of Rajasthan,

District-Churu

Name of Tehsil :Rajgarh

District : Churu

Sl. No.	Name of Sub-Division / Tehsil	Name of Village	Survey / Khasra Number	Type of land	Nature of land	Total Area (in Hectares)	Area of Land to be Acquired (in Hectares)
1.	Rajgarh	Kasba Rajgarh	1645	Private	Barani tratiy	2.6600	0.125
2.		Ratanpura	856/504	Private	Barani Chaturth	2.1500	0.10
			862/505	Government	Gai.Mu.Sadak	0.0500	0.025
Total Acquired Land							0.25

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const)